अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 08/2010

रामेश्वर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश दिनांक 12.03.2010 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 27.01.2010 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नगरा के द्वारा रामेश्वर सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु0 सं0–50/07, पंचायत–मशरक पूर्वी प्रखंड–मशरक की दूकान की जांच की गई थी। जाँच के क्रम में, विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितताएँ पाई गई। 1. जांच के समय दूकान बंद थी। 2. विक्रेता अनुपस्थित पाए गए तथा विक्रय स्थल पर सूचना पट्ट नहीं था. 3. विक्रेता से संबंधित उपभोक्ताओं को प्रतिमाह किरासन तेल का वितरण नहीं कर तीन माह पर एक बार किया जाता है, तथा पुरे माह का कूपन फार लिया जाता है। 4. जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से पता चलता है कि दूकान बंद होने के कारण राशन/किरासन तेल का स्टॉक तथा वितरण पंजी जांच पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके कारण पंजी की जांच नही हो सकी। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 448,दिनांक 06.02.2010	

के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 506, दिनांक 17.02.2010 के द्वारा निलंबित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसे अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया, एवं तत्काल प्रभाव से उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि 27.01.2010 को विक्रेता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इस वजह से सूचना पट्ट संधारित नहीं किया जा सका। जिन उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई। वे उपभोक्ता विक्रेता की दूकान से संबद्ध नहीं थे। इस आशय का शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया है। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा सभी बिन्दुओं पर अपना जवाब दाखिल किया गया। फिर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विक्रेता के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के प्रतिकूल अनियमितताएँ बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.03.2010 में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा मे विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं के बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set

aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाए,उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराई जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

23/07/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/07/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 499 /न्या0, दिनांक 04/08/2015

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–श्री मो0 खालिद, विद्वान विशेष लोक अभियोजक,7ई0सी0,सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0आई0सी0सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

04/8/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

04/8/15